बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सकारण आदेश (Reasoned Order)

श्री अनिल कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), यांत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना सम्प्रति : कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), यांत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरा के पदस्थापन काल के दौरान लौरिया से फुलवारीशरीफ स्थानान्तरित Hot mix plant समय से चालू नहीं होने एवं उसके सभी उपस्करों की मरम्मति नहीं कराये जाने संबंधी आरोप के लिए मुख्य अभियंता (यांत्रिक) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1004 (अनु0) दिनांक–12.12.08 द्वारा अभियंता प्रमुख (पथ) एवं मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार के द्वारा पत्रांक–959 अनु0 दिनांक–16.12.18 से समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षोपरांत असंतोषप्रद पाया गया। कार्य के प्रति अभिरूचि नहीं होने एवं कार्यों में अपनायी गयी शिथिलता के प्रमाणित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–5744 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–5745 (एस) दिनांक–02.06.09 द्वारा इनके तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दंड संसूचित किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध पत्रांक–452 अनु0 दिनांक–13.07.09 से पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया एवं पुनः पत्रांक–शून्य दिनांक–04.02.10 से द्वितीय पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया, जिसे विभागीय पत्रांक–7022 (एस) दिनांक–13.05.10 से विचार योग्य नहीं मानते हुए अस्वीकृत कर दिया गया। श्री कुमार द्वारा पूर्व समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किये जाने के पश्चात पुनः पत्रांक–शून्यं दिनांक–10.06.10 से अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसे विभागीय पत्रांक–9789 (एस) दिनांक–05.07.10 से पुनः अविचारणीय माना गया।

4. श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0सं0–14713/2010 अनिल कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त वाद में दिनांक–17.05.18 को पारित आदेश द्वारा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5745 (एस) दिनांक–02.06.09, पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृत किये जाने संबंधी पत्रांक–7022 दिनांक–13.05.10 एवं पत्रांक–9789 दिनांक–05.07.10 को निरस्त करते हुए "Matter is remanded back and the authorities if so like they make a proper steps and pass order in accordance with law" का आदेश पारित किया गया।

5. श्री कुमार द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0–14713/2010 में दिनांक–17.05.18 को माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में आरोपी श्री कुमार को प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के स्तर पर दिनांक–28.12.18 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री कुमार द्वारा सुनवाई के क्रम में यह तथ्य रखा गया कि अपोलो तप्त मिश्रण संयंत्र (संख्या–227) का Dismantling, Transportation एवं Erection कार्य के आवंटन में विलंब होने के बावजूद कार्यहित में बगैर प्राक्कलन स्वीकृति के ही दिनांक–22.05.18 से दिनांक–07.06.08 की अवधि में कार्य सम्पादित कराया गया। आवंटन प्राप्त होने के पश्चात दिनांक–22.11.08 को एकरारनामा कर संवेदक को 15 दिन तक कार्य समाप्त करने का कार्यादेश दिया गया एवं संवेदक द्वारा दिनांक–06.12.08 को समय सीमा के अन्दर कार्य समाप्त कर दिया गया।

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की समीक्षोपरांत श्री कुमार के समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक–16.12.08 पर मुख्य अभियंता (यांत्रिक) का मंतव्य प्राप्त किया गया। मुख्य अभियंता (यांत्रिक) से प्राप्त मन्तव्य के आधार पर मामले का सम्यक रूप से विश्लेषण किया गया। विश्लेषणोपरांत पाया गया कि आरोपी श्री कुमार के द्वारा लौरिया से फुलवारीशरीफ स्थानान्तरित अतिरिक्त Hot mix plant के निर्धारित तिथि 30.11.08 के छः दिनों के विलंब के पश्चात चालू किये जाने को अल्पावधि का विलंब

मानने एवं दिनांक–01.12.2008 को प्लांट के निरीक्षण के समय उनके मनी सूट संख्या–87/2003 में माननीय व्यहवार न्यायालय, पटना में उपस्थित रहने संबंधी तथ्यो की पुष्टि के आधार पर श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर इस हद तक विचार किया जाना यथोचित प्रतीत होता है, परन्तु यांत्रिक प्रमंडल के Hot mix plant के संतोषप्रद परफॉरमेन्स नहीं देने एवं प्लांट ट्रान्सफर किये जाने के बावजूद फुलवारीशरीफ प्लांट ससमय चालु नहीं किया गया, इसके कारण अपर्याप्त मिक्स का उत्पादन होने के बिन्दु पर श्री कुमार द्वारा यह तर्क दिया जाना की आकस्मिक मजदूरों की कमी थी, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि फुलवारीशरीफ में पूर्व से Star mix plant अधिष्ठापित था एवं आकस्मिक मजदूरों के द्वारा बिटुमिनस कार्य संपन्न किया जा रहा था एवं इन मजदूरों से लौरिया से स्थानांतरित प्लांट के Erection इत्यादि कार्य में लगाया जा सकता था। अतएव इस हद तक आरोपी श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार के विरूद्व गठित आरोपों के संदर्भ में सम्यक विचारोंपरान्त सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–14713/2010 में दिनांक–17.05.18 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय दंडादेश अधिसूचना ज्ञापांक–5745 (एस) दिनांक–02.06.09, पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृत किये जाने संबंधी अधिसूचना संख्या–7022 दिनांक–13.05.10 एवं पत्रांक–9789 दिनांक–05.07.10 को निरस्त किया जाता है एवं श्री अनिल कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), यांत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना सम्प्रति : कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), यांत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरा को "तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" के संसूचित दंडादेश को इस हद तक पुनरीक्षित करते हुए निम्नवत दंड संसूचित किया जाता है :–

(क) 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

ह०/–
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–06 (यॉ0) मुकदमा–35/2010 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह– विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), यांत्रिक उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरा/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–1, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अनिल कुमार, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), यांत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 867(s) **पटना, दिनांक :–** 23/1/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

23/01/19.

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

23/01/19